न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

महेश सिंह राजपूत आयु करीब 55 वर्ष
आत्मज स्व. श्री धीरज सिंह
निवासी–ग्राम बैहराखेंड़ी
तहसील डोलरिया जिला होशंगाबाद————————————————याचिकाकर्ता

निग0-3804-PBR/16

बनाम

श्री ... द्वारा आज दि. 4-11-16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. उर्मिलाबाई पत्नि श्री सूरज सिंह राजपूत
   निवासी–ग्राम बमूरिया
   तहसील व जिला होशंगाबाद

2. पन्नीबाई आयु करीब 75 वर्ष
   आत्मज स्व. श्री धीरज सिंह
   निवासी–ग्राम बैहराखेड़ी
   तहसील डोलरिया जिला होशंगाबाद————————————————उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. :–

याचिकाकर्ता यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय श्रीमान नायब तहसील डोललिया जिला होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्रकरण क्र.63–अ/06–ए वर्ष 2015–16 जिसके पक्षकार उर्मिलाबाई बनाम महेश सिंह राजपूत है। उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक ~~28.10.2016~~ 21-10-2016 से क्षुब्ध एवं व्यथित होकर निम्न आधारों पर प्रस्तुत करता है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3804–पीबीआर/2016 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
7–12–16	आवेदक अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 21–10–16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर तहसील न्यायालय में उपलब्ध है, अतः इस निगरानी को चलाये जाने को कोई औचित्य नहीं है । अतः निगरानी आधारहीन होने से समाप्त की जाती है । अध्यक्ष	